



भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय/  
GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF DEFENCE  
रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन  
DEFENCE R&D ORGANISATION

**सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र**  
**CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION**  
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट आफिस, बंगलोर  
MARATHAHALLI COLONY P.O.  
BANGALORE - 560 037.

### वर्ग अनुमोदन सं./Type Approval No.1001

मद/For Item : “ब्रेक पैड/लाइनिंग पार्ट सं.9521592-1”/Brake Pad/Lining Part No. 9521592-1

यह प्रमाणित किया जाता है कि हिन्दुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाऊंड्री व फोर्ज प्रभाग, बंगलोर - 560 017 द्वारा विकसित तथा उत्पादित “ब्रेक पैड/लाइनिंग” पार्ट सं.95215921 आरेखन संख्या एफडी-5378, इश्यू‘ए’ दिनांक 4.12.2000 के अनुसार सीकिंग हेलिकाप्टर ब्रेक युनिट में इस्तेमाल होता है, उत्पादन के लिए अनुमोदित किया जाता है। इसे एचएएल एफ एण्ड एफ प्रभाग, बंगलोर के सीएमपीएल में टेस्ट शेड्यूल/ सं.डीटी 2001-02 दिनांक अगस्त 2001 के अनुसार परीक्षित किया गया है। यह परिशिष्ट‘ए’ में संलग्नक “वर्गरिकार्ड कम्प्लाइंस स्टेटमेंट” की विवरण/परीक्षण सम्बंधी आवश्यकताओं को पूर्ण करता है।

*This is to certify that the “Brake Pad/Lining” bearing the Part No. HAL 9521592-1, developed and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Foundry & Forge Division, Bangalore 560 017, is hereby approved for production as per drawing No. FD-5378, issue ‘A’ dated 4.12.2000, for use in Seaking helicopter brake unit. It has been tested to Test schedule No. DT 2001-02 Issue-“B” dated August 2001 at CMPL of HAL F&F Division, Bangalore, in co-ordination with RCMA(F&F), DRDO, Vimanapura P.O, Bangalore-17. It has met the requirements of specification/tests, as detailed in the type record compliance statement enclosed at Appendix-‘A’.*

2. ऊपरलिखित वर्ग अनुमोदन संख्या को सभी संगत आरेखन, संविदा तथा रिलीज़ नोट्स में प्रतिबिंबित किया जाना चाहिये

*The Type Approval number quoted above must be reflected in all relevant drawings, contracts & release notes.*

3. यह वर्ग अनुमोदन, थोक उत्पादन के लिए डी.जी.ए.क्यू.ए, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण पक्ष की निकासी पर आधारित है।

*This approval is contingent upon the quality control aspects of bulk production being cleared by DGAQA, Ministry of Defence, Govt. of India.*

4. यह वर्ग अनुमोदन 30 जून 2008 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए आर.सी.एम.ए(एफ एण्ड एफ) से अनुरोध करना होगा।

*This Type Approval is valid upto 30<sup>th</sup> Jun 2008. The vendor shall request RCMA(F&F) for subsequent renewal, three months before the expiry of Type Approval.*

5. अगर इस अनुमोदन को किसी अन्य अभिकरण में स्थानांतरण करना हो या संलग्न टाइप रेकार्ड में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केन्द्र (सेमिलाक), बंगलोर की पूर्व सहमति लेनी होगी।

*Prior agreement of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bangalore, will have to be obtained if this approval is to be transferred to any other agency or if changes within the Type Record enclosed are effected.*

संलग्न/End : परिशिष्ट 'ए' / Appendix 'A'

सं/No. : सेमिलाक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 1001

दिनांक/Date : 25 June 2003

फेक्स सं/Fax No: 080-5230856

*G. Lokanatha*

(जी.लोकनाथा/ G.LOKANATHA)

स्थानापन्न मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/  
offg Chief Executive (Airworthiness)

*24/06/03* *ke* *24/6/03* *Mr* *25/6*